10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर एट भोपाल म0प्र0।

निगरानी कमांक .... / 2018

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1509

श्री [handwritten] द्वारा 26-2-18 को प्रस्तुत किया

1:– अख्तर खॉन आत्मज श्री अहमद खॉन
आयु वयस्क
2:– जफर खॉन आत्मज श्री अहमद खॉन
आयु वयस्क दोनो निवासी व कृषक ग्राम –
टिकनखेड़ी तहसील बैरसिया जिला भोपाल
म0प्र0 ....आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

विरूद्व

मुमताज खॉन आत्मज सरदार खॉन
आयु वयस्क निवासी ग्राम टिकनखेड़ी
तहसील बैरसिया जिला भोपाल –
म0प्र0 ....अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

श्रीमानजी,

आवेदकगण, राजस्व प्रकरण कमांक 2 / अ70 / 2017 –2018 अंतर्गत धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0 (मुमताज खॉ विरूद्व अख्तर खॉ आदि) में पारित आदेश दिनांक 5/2/18 एवं 13 / 02 / 2018 से असंतुष्ठ व दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों व आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करते है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/18/ 1509 जिला-भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-2-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री उमेश भार्गव उपस्थित । उन्हें सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति पर बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक की आपत्ति पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । तहसीलदार को इस निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	